इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 जनवरी 2013—पौष 19, शक 1934


### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 157-13-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. डी. खान**, प्रमुख सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०१३.

# मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१२.

[ दिनांक ८ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ९ जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

**मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

भाग-एक

**मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.**

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १३२ में, उपधारा (६) में, खण्ड (ढ) में, शब्द "माल या" का लोप किया जाए.

भाग-दो

**मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.**

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा १२७ में, उपधारा (६) में, खण्ड (ढ) में, शब्द "माल या" का लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 158-13-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. डी. खान,** प्रमुख सचिव.

# MADHYA PRADESH ACT
## No.6 OF 2013.

## THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012.

**[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th January, 2013.]**

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

**Short title.**

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

## PART I

## AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 of 1956)

**Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.**

2. In Section 132 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956), in sub-section (6), in clause (n), the words "goods or" shall be omitted.

## PART II

## AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 of 1961)

**Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.**

3. In Section 127 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), in sub-section (6), in clause (n), the words "goods or" shall be omitted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.